कार्यालय वनमंडलाधिकारी,पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल

E-mail ID :: dfotwchwara@mp.gov.in Fax (07162)246996

कमांक/तकनीकी/2025/ 2047 छिन्दवाड़ा दिनांक 13/10/25

प्रति,

मुख्य महाप्रबंधक
वे.को.फी.लिमि.
कन्हान क्षेत्र डुंगरिया

विषय :— वनमंडल पश्चिम छिन्दवाड़ा के परिक्षेत्र जामई के ग्राम जुन्नारदेव विशाला के कक्ष कमांक पी 454 के रकबा 14.00 हे0 वनभूमि में भारत खुली खदान फेस–2 कोयला उत्खनन हेतु मेसर्स वेस्टर्न कोलफील्डस लिमि का व्यपवर्तन का ऑनलाईन प्रस्ताव कमांकFP/MP/MIN/26356/2017

संदर्भ :— 1. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र दिनांक 24.03.2025

2. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध) भोपाल के पत्र क. एफ–1/FP/MP/MIN/26356/2017/1025 दिनांक 24.03.2025

3. इस कार्यालय के पत्र कमांक 603 दिनांक 02.04.2025 एवं 1159 दिनांक 26.05.2025 एवं 1203 दिनांक 03.07.2025 एवं 1824 दिनांक 07.08.2025 एवं 1632 दिनांक 25.08.2025 एवं 1897 दिनांक 23.09.2025 एवं 1952 दि. 29.09.2025

–***–

विषयांकित पत्र के तारतम्य में लेख है कि, पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल अंतर्गत परिक्षेत्र जामई के ग्राम जुन्नारदेव विशाला के कक्ष कमांक आर एफ 454 (वनविकास निगम को हस्ता.) के रकबा 14.00 हे0 वनभूमि में भारत खुली खदान फेस–2 कोयला उत्खनन हेतु प्रकरण ऑनलाईन प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र दिनांक 24.03.2025 से सैद्वांतिक स्वीकृति जारी की गई हैं। स्वीकृति में अधिरोपित शर्त कमांक 1 से 31 का पालन आवेदक विभाग द्वारा किया जाना हैं एवं शर्तवार वचनपत्र के साथ शर्तो का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना हैं।

स्वीकृति में अधिरोपित शर्त कमांक III a, एवं b के पालन हेतु नेट प्रजेन्ट वेल्यू की राशि का निर्धारण भारत शासन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश दिनांक 06.01.2022 के अनुसार वनों का Eco-Class –III के अनुसार नेट प्रजेन्ट वेल्यू की राशि प्रति हे0 12,28,590.00 लाख रू. के आधार पर किया गया है।

व्यपवर्तित वनभूमि वन कक्ष कमांक आर.एफ. 454 के रकबा 14.00 हे. खुली खदान फेस–2 में भारत शासन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश दिनांक 06.01.2022 के अनुसार नेट प्रजेन्ट वेल्यू की राशि प्रति हेक्टेयर राशि रू. 12,28,590.00 लाख की दर से राशि रु. 1,72,00,260.00 का आंकलन

Ok

किया गया है। शर्त कमाक 2 (a) वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि रू. 1,38,85,489.00 एवं शर्त कमांक 13 मांईन एरिया के 100 मी. परिधि में गैप प्लांटिग राशि रू. 69,75,753.00 का निर्धारण किया गया हैं।

निर्धारित की गई राशियों को ई— पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन कैम्पा मद के खाता में जमा कराया जाना है।

राशि का विवरण निम्नानुसार है :—

स.क.	मद	रकबा (हेक्टयर में)	घनत्व (Density)	इको क्लास श्रेणी	राशि	रिमार्क (यदि कोई हो तो)
1	नेट प्रेजेन्ट वेल्यु	14.00	0.4	III	1,72,002,60.00	
2	वैकल्पिक वृक्षारोपण शर्त कमांक 2 (a)	28	-	-	1,38,85,489.00	
3	भारत खुली खदान रकवा 14 हे. उपरी तल माईन के 100 मी. परिधि में गैप प्लांटिग शर्त कमांक 13	14	-	-	69,75,753.00	
	वैकल्पिक वृक्षारोपण की पर्यवेक्षण शुल्क की राशि शर्त कमांक 2 (a)				13,88,549.00	राशि कोषालय के माध्यम से राजस्व मद में जमा किया जावें।
	उपरी तल माईन के 100 मी. परिधि में गैप प्लांटिग पर्यवेक्षण शुल्क शर्त कमांक 13				6,97,575.00	राशि कोषालय के माध्यम से राजस्व मद में जमा किया जावें।

अतः नेट प्रेजेन्ट वैल्यू की राशि रु. 1,72,00,260.00 (एक करोड़ बहत्तर लाख दो सौ साठ रूपये) , शर्त कमांक 2(a) के पालन में वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि रू. 1,38,85,489.00 (एक करोड़ अड़तीस लाख पच्चासी हजार चार सौ नवासी) एवं शर्त कमांक 13 के पालन में माईन के 100 मी. परिधि में गैप प्लांटिग की राशि रू. 69,75,753.00 (उनहत्तर लाख पचहत्तर हजार सात सौ तिरेपन) कुल राशि रू. 3,80,61,502.00 (तीन करोड़ अस्सी लाख इकसठ हजार पांच सौ दो) को ई—पोर्टल के माध्यम से कैम्पा मद

में जमा कराते हुये 72 घंटे बाद बैक का स्टेटमेंट , यू.टी.आर. नंबर सहित चालान की छायाप्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

शर्त कमांक 2(a)10 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क की राशि रूपये 13,88,549.00 एवं 13 में प्रावधानित 10 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क की राशि रूपये 6,97,575.00 कुल राशि रूपये 20,86,124.00 (बीस लाख छियासी हजार एक सौ चौबीस) को कोषालय के माध्यम से राजस्व मद मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष 0406 वानिकी ओर वन्य जीवन लघु शीर्ष 800 अन्य प्राप्तियॉ में जमा होने के उपरांत चालान जिला कोषालय द्वारा सत्यापित कर प्रस्तुत करें।

स्वीकृति में अधिरोपित शर्त कमांक X(a) ,(b), (c) के पालन में लीज एरिया के सेफटी जोन के 7.5 मी0 परिधि में आरसीसी पिलर एवं फेंसिंग कार्य साथ ही सेफटी जोन एरिया को हरा–भरा करने हेतु उपवनमंडलाधिकारी परासिया के मार्गदर्शन में प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर शर्तो का पालन करना सुनिश्चित करें। उक्त अधिरोपित शर्त अनुसार कार्य वन विभाग की निगरानी में किया जावेगा।

स्वीकृति में अधिरोपित शर्त कमांक I से XXXI की पूर्ति होने के उपरांत समस्त शर्तो का पालन प्रतिवेदन मय वचन पत्र एवं अभिलेख के इस कार्यालय में प्रस्तुत करें , ताकि अंतिम स्वीकृति हेतु शर्तो का पालन प्रतिवेदन शासन की ओर प्रेषित किया जा सकें।

वनमंडलाधिकारी
पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल छिन्दवाड़ा

पृष्ठा.क्रमांक/ तकनीकी/2025/2048
छिंदवाड़ा, दिनांक/ 13/10/25

प्रतिलिपि :– 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध) वन भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

2. वन संरक्षक छिन्दवाड़ा वन वृत्त छिन्दवाड़ा की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

3. संभागीय प्रबंधक छिन्दवाड़ा परियोजना मंडल वनविकास छिन्वाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

4. उपवनमंडलाधिकारी परासिया सा.उपवनमंडल की ओर सूचनार्थ। स्वीकृति में अधिरोपित शर्त कमांक X(a) ,(b),(c) के पालन में लीज एरिया के सेफटी जोन के 7.5 मी0 परिधि में आरसीसी पिलर एवं फेंसिंग कार्य साथ ही सेफटी जोन एरिया को हरा–भरा करने हेतु आपके मार्गदर्शन में वे.को.फि. लिमि. कन्हान क्षेत्र डुंगरिया को प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किया जाना सुनिश्चित करें, एवं सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तो का पालन आवेदक विभाग से कराकर शर्तवार पालन प्रतिवेदन आवेदक विभाग द्वारा इस कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करें।

5. वनपरिक्षेत्राधिकारी जामई सा. वनपरिक्षेत्र की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वनमंडलाधिकारी
पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल छिन्दवाड़ा